

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा०म० प० चम्पारण-05/15-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :-वित्त विभाग।

**विषय :-** मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10.01.2017 के मद संख्या-14 में दी गई स्वीकृति के आलोक में प० चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमण्डल के गौनाहा अंचल के मौजा- देवाढ, थाना नं०-193, खाता सं०-31, खेसरा सं०-165/1, रकबा-0.50 एकड़ गैर मजरूआ मालिक, परती कदीम भूमि 7500/- रू० प्रति डिसमिल की दर से  $7500 \times 50 = 375000$ /- रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात् 18750.00 रू० का 25 गुणा अर्थात् 468750.00 रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-843750.00 (आठ लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास) रू० के एकमुश्त भुगतान पर प्रस्तावित 33/11 के० भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना के निमित्त नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

**आदेश : स्वीकृत।**

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-6/खा०म० प० चम्पारण-05/15-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-02/2014-15 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह०/-  
(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

